

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

पूजा बनाम सरिता वगै०

<p>तारीख हुकम  12.06.2024</p>	<p>हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज वाद - धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 132 वर्ष 2024 आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपरिथत है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वास्ते तलबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए०डी० के नोटिस तलवाने पेश करें। पत्रावली 09-07-2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल-तिजारा)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
<p>09/07/24</p>	<p>आज पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपरिथत है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वास्ते तलबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए०डी० के नोटिस तलवाने पेश करें। पत्रावली 09-07-2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल-तिजारा)</p>	<p>पत्रावली - 1 U.T. Kumar वि० सं 21/2024 12/5</p>
<p>09/07/24</p>	<p>आज पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपरिथत है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वास्ते तलबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए०डी० के नोटिस तलवाने पेश करें। पत्रावली 09-07-2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल-तिजारा)</p>	<p>वि० सं 21/2024 12/5</p>
<p>12/07/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई PO सातव अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली को न्यायालय के न्यायाधीश के पास भेजा गया।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी, तिजारा</p>	<p>वि० सं 21/2024 12/5</p>
<p>24/07/24</p>	<p>आज पत्रावली पेश हुई। अन्वार्जें लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने पर वादी/वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः वाद अदम हाजरी/अदम पेशवी में रजिस्ट्रिज किया जाकर, पत्रावली वाद निर्णय तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल तिजारा राज०</p>	<p>वि० सं 21/2024 12/5</p>